प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील संख्या: 566/2012

अपीलार्थी देव लाल मंडावी, पिता रति राम मंडावी, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी दुबे उमरगांव, थाना भनपुरी, जिला बस्तर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा: थाना भनपुरी, जिला बस्तर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थित:

श्री विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।

श्री अखिल मिश्रा, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

निर्णय

(दिनांक 16.08.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **<u>न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा</u>** द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया गया:

(1) यह अपील सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 138/2009 में पारित निर्णय दिनांक 17 मई, 2012 के विरुद्ध संस्थित किया गया है। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सिद्धदोष ठहराया गया है और आजीवन कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

(2) प्रकरण के तथ्य, संक्षिप्त में, इस प्रकार हैं-

मृतक-मंगल सिंह का शव दिनांक 07.10.2009 को एक खुले स्थान पर पाया गया था। मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/1) और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर प्रदर्श पी/10) दर्ज की गई थी। प्राथमिकी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई थी। विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुँचकर पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी/2) दिया और मृतक के शव का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी/4) तैयार किया। शव को शव परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), भनपुरी भेजा गया। शव परीक्षण डॉ. के.एस. पैकरा (अ.सा.-8) द्वारा किया गया, जिन्होंने मृतक के शरीर पर कई गंभीर चोटें पाईं और अभिमत दी कि मृत्यु का कारण सिर की चोटों की जटिलताओं के कारण उत्पन्न सदमा था और यह प्रकृति में 'मानव वध' था। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी/11 है। अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक 09.10.2009 को ग्राम पंचायत बुलाई गई थी और उक्त पंचायत में अपीलार्थी ने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की कि उसने मृतक की हत्या की है। इसके पश्चात, अपीलार्थी को हिरासत में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी/6) दर्ज किया गया। अपीलार्थी के निशानदेही पर 'गगड़े' (लकड़ी के मुठ लगा हुआ) और 'डंडा' ज़ब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी/7 और प्रदर्श पी/8 के माध्यम से ज़ब्त किए गए। ज़ब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जहाँ से प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/25) प्राप्त हुई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन के अनुसार, मृतक के कपड़ों और डंडे पर रक्त के धब्बे पाए गए थे। हालांकि, रक्त के स्रोत और समूह से संबंधित कोई प्रतिवेदन पेश नहीं की जा सकी। अभियोजन का प्रकरण मुख्य रूप से ग्राम पंचायत में अपीलार्थी द्वारा की गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति पर आधारित था। खेदुराम ठाकुर (अ.सा.-3), गणेशिया (अ.सा.-7), दीनबंधु (अ.सा.-9) और सखाराम नाग (अ.सा.-10) इस न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्षी हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इन साक्षियों के साक्ष्य का अवलंब लिया है और यह माना कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति विधिवत सिद्ध हुई थी। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के निशानदेही पर रक्तरंजित डंडा ज़ब्त किया गया था, इसलिए अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंड का पात्र था।

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा ने तर्क दिया कि इस घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था और अभियोजन का पूरा प्रकरण केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। उन्होंने तर्क दिया कि परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्थापित नहीं थीं, उन परिस्थितियों का अन्य स्पष्टीकरण संभव था और साक्ष्यों की कड़ी भी अधूरी थी। न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के संबंध में उन्होंने पुरजोर तर्क दिया कि उक्त 'पंचायत' पुलिस द्वारा बुलाई गई थी, इसलिए वह अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित उप शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

(6) यह स्वीकार्य तथ्य है कि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने निम्नलिखित 2 परिस्थितियों के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की है:

i. ग्राम पंचायत में की गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति, और

ii. अपीलार्थी के निशानदेही पर रक्तरंजित डंडे की ज़ब्ती।

(7) जहाँ तक न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की परिस्थिति का प्रश्न है, ***एस.के. यूसुफ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, एआईआर 2011 एससी 2283*** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित

किया है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है। इसे सत्य और स्वेच्छा से, स्वस्थ मानसिक स्थिति में किया गया सिद्ध होना चाहिए। साक्षी के शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध होने चाहिए और उससे यह स्पष्ट झलकना चाहिए कि अभियुक्त ही अपराध का अपराधी है। न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को स्वीकार किया जा सकता है और यह दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, यदि यह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती हो। इस संबंध में *राजस्थान राज्य बनाम राजाराम (2003) 8 एससीसी 180* और *कुलविंदर सिंह व अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2011) 5 एससीसी 258* का संदर्भ लिया गया है।

(8) वर्तमान मामले में, न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को 4 साक्षियों - खेदुराम ठाकुर (अ.सा.-3), गणेशिया (अ.सा.-7), दीनबंधु (अ.सा.-9) और सखाराम नाग (अ.सा.-10) द्वारा सिद्ध बताया गया है। इन साक्षियों ने दावा किया है कि दिनांक 09.10.2009 को ग्राम पंचायत आयोजित की गई थी और उस पंचायत में अपीलार्थी ने उनके सामने अपराध स्वीकार किया था। हालांकि, खेदुराम ठाकुर (अ.सा.-3) ने अपनी प्रति परीक्षण के कंडिका 7 में स्वीकार किया है कि जब पुलिस दल गाँव आया, तो उसे पुलिस द्वारा बुलाया गया था। उसने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि वह ग्राम पंचायत पुलिस द्वारा आयोजित की गई थी और गाँव का बुजुर्ग सदस्य होने के नाते उसे उस पंचायत में बुलाया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) गणेशिया (अ.सा.-7) मृतक की पुत्री है। उसने साक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने पंचायत में स्वीकार किया था कि उसने उसके पिता की हत्या 'फरसा' जैसी वस्तु से की है। उसने अपनी प्रति परीक्षण के कंडिका 7 में यह भी स्वीकार किया कि उसका पुलिस अभिकथन दर्ज नहीं किया गया था और वह ये सभी तथ्य पहली बार अदालत के सामने बता रही है। उसने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि वह पहली बार बता रही है कि गाँव में ऐसी कोई पंचायत आयोजित की गई थी।

(10) दीनबंधु (अ.सा.-9) भी ग्राम पंचायत का एक साक्षी है। उसने अपनी मुख्य परीक्षण में पंचायत और संस्वीकृति के बारे में साक्ष्य दिया। हालांकि, अपनी प्रति परीक्षण के कंडिका 7 में उसने स्वीकार किया कि उसे इस घटना के बारे में और यह कि "अपीलार्थी ने मृतक को मारा है"

तब पता चला जब पुलिस कर्मियों ने उसे यह सब बताया। उसने अपनी प्रति परीक्षण के कंडिका 8 में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि यह सच है कि वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानता।

(11) सखाराम नाग (अ.सा.-10) भी इसी बिंदु पर एक साक्षी है। उसने अपनी प्रति परीक्षण के कंडिका 4 में साक्ष्य दिया कि गाँव के रंगमंच पर एक पंचायत बुलाई गई थी। वहाँ अपीलार्थी ने ग्रामीणों के सामने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की थी। अपनी प्रति परीक्षण के कंडिका 4 में उसने स्वीकार किया कि पुलिस कर्मियों ने अपीलार्थी को पहले ही पकड़ लिया था और उसे रंगमंच पर रखा गया था। उसने यह भी माना कि उसे संस्वीकृति के बारे में तब पता चला जब पुलिस ने उसे बताया कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या करना स्वीकार कर लिया है।

(12) ग्राम पंचायत के उपरोक्त साक्षियों और न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्ष्यों के मूल्यांकन पर, हम पाते हैं कि दिनांक 09.10.2009 को पुलिस दल गाँव आया था और अपीलार्थी को हिरासत में ले लिया गया था, और उसके बाद ग्रामीणों को रंगमंच पर पंचायत में बुलाया गया था और तब कथित संस्वीकृति की गई थी। यह दर्शाता है कि कथित संस्वीकृति एक ऐसी पंचायत में अभिलिखित की गई थी, जो वास्तव में पुलिस द्वारा आयोजित की गई थी न कि ग्रामीणों द्वारा, और कथित साक्ष्य देते समय अपीलार्थी पुलिस की हिरासत में था। प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, अपीलार्थी द्वारा की गई कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति से संबंधित अभिकथन साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होगा। हमारा मानना है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्ष्य को स्वीकार करने में पूर्णतः भूल की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(13) जहाँ तक अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन के आधार पर 'डंडा' ज़ब्त किए जाने के साक्ष्य का प्रश्न है, हम पाते हैं कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/25) के अनुसार, डंडे पर रक्त के धब्बे पाए गए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर सका कि वे धब्बे मानव रक्त के थे और न ही यह सिद्ध हो सका कि वे मृतक के रक्त समूह से मेल खाते थे।

(14) हमारा यह मत है कि प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, केवल 'डंडे' की ज़ब्ती की अकेली परिस्थिति अपीलार्थी को हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराने हेतु पर्याप्त नहीं होगी।

(15) उपरोक्त कारणों से, हम उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम रखने में असमर्थ हैं। परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्थापित नहीं थीं। परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की नहीं थीं। परिस्थितियों का अन्य स्पष्टीकरण संभव था और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की भी अपूर्ण थी।

(16) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और सजा अपास्त की जाती है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। जैसा कि बताया गया है कि अपीलार्थी दिनांक 09.10.2009 से अभिरक्षा में है; यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-	**सही/-**
सुनील कुमार सिन्हा	**आर.एस. शर्मा**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Amitesh Anand Rathore